दिनांक– 10.02.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हुई विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति यथा संधारित।

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक–10.02.2021 को विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर निदेश दिए गए एवं विर्मशोपरान्त आवश्यक निर्णय लिए गए :–

1. **बंदोबस्त पदाधिकारियों का एम0आई0एस0 एवं जिला बंदोबस्त और शिविर** कार्यालय **की समीक्षा :–** प्रतिवेदित किया गया कि बंदोबस्त पदाधिकारियों के मूल्यांकन के लिए POP तैयार कर निर्धारित बिन्दुओं के आलोक में समीक्षा की जा रही है एवं आगामी माह से जिलावार POP का निर्धारण किया जाएगा। जिला एवं शिविर स्तरीय समीक्षा के लिए निदेशानुसार CVMS (Camp Visit Monitoring System) एवं DCIMS (District and Camp Inventory Management System) तैयार किया जा रहा है।

   विर्मशोपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व में किए गए निदेश के अनुपालन में CVMS एवं DCIMS के संबंध में कार्य सम्पन्न करते हुए क्रमशः दिनांक–17.02.2021 एवं 19.02.2021 को प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाए।

   अनुपालनः– प्रभारी आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।

2. **भारत सरकार से प्राप्त "स्वामित्व योजना" के संबंध में** :– बैठक में इस संबंध में दिए जाने वाले पत्र का प्रारूप उपस्थापित किया गया।

   उपस्थापित प्रारूप में विर्मशोपरान्त आवश्यक सुधार करते हुए निदेश दिया गया कि संयुक्त सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम में अपर सचिव पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र दिया जाए।

   अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।

3. **विशेष सर्वेक्षण कार्य में जी0आई0एस0 लेयर का संधारण** :– बैठक में उपस्थित जी0आई0एस0 सलाहकार, श्री चंदन कुमार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गत बैठक में दिए गए निदेश के अनुपालन में शेखपुरा जिला अंतर्गत घाटकुसुम्भा अंचल के गुड़ेरा ग्राम के जी0आई0एस0 लेयर का संधारण कर लिया गया है।

   विर्मशोपरान्त निर्णय लिया गया कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत प्रयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर में तथा निर्मित किए जानेवाले मानचित्रों में जी0आई0एस0 लेयर का संधारण सही ढंग से करने के लिए निम्नांकित कार्यो का किया जाना आवश्यक है :–

   (i) सर्वप्रथम विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत प्रपत्र–6 के इन्ट्री के लिए संलग्न विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को 30–40 के बैच में ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम तैयार किया जाए।

   (ii) जी0आई0एस0 सलाहकार द्वारा "**विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में जी0आई0एस0 लेयर का निर्माण एवं संधारण**" के नाम से मार्गदर्शिका का प्रारूप तैयार किया जाए और इसे विशेष सर्वेक्षण कार्य में संलग्न सभी कर्मियों को उपलब्ध कराया जाए।

   (iii) जी0आई0एस0 लेयर अंतर्गत संधारित होने वाले सभी लेयरों की सूची (Points and Coordinate) को यथाशीघ्र सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो तथा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को बंदोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।

   (iv) जी0आई0एस0 लेयर के प्रविष्टियों की शुद्धता बनाए रखने के लिए एक चेकलिस्ट बनाई जाए जिससे मौजावार इसकी पूर्णता एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

   (v) जी0आई0एस0 लेयर के बारे में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की विशेष रूप से अलग से प्रशिक्षण दिया जाए और इसके लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो को एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन को तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए।

(vi) जी0आई0एस0 लेयर संबंधी किए जाने वाले कार्यो की तकनीकी आधार पर जॉच के एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण का Module तैयार किया जाए।

(vii) जी0आई0एस0 लेयर के संबंध में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए जाने वाले कार्यो के जॉच एवं अनुश्रवण के लिए निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षित तकनीकी दल का गठन किया जाए।

अनुपालनः–श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।

4. **भू–नक्शा सॉफ्वेयर में जी0आई0एस0 लेयर से संबंधित संकेत चिन्हों के प्रदर्शन का प्रावधान** – जी0आई0एस0 सलाहकार द्वारा बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में जी0आई0एस0 लेयर (Points and Coordinate) को प्रदर्शित किये जाने के संबंध में प्रावधान किया जाना आवश्यक है। बैठक में उपस्थित एन0आई0सी0 के तकनीकी निदेशक द्वारा बताया गया कि इस संबंध में नई दिल्ली एन0आई0सी0 से सहयोग लेने की आवश्यकता होगी।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि एन0आई0सी0, पटना द्वारा यथाशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करेंगे एवं जी0आई0एस0 सलाहकार सभी प्रकार के आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगे।

अनुपालनः–श्री संजय कुमार तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 एवं श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।

5. **विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का प्रशिक्षण** :– प्रतिवेदित किया गया कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा माह फरवरी – मार्च, 2021 को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर 08 फरवरी से प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है तथा नवनियोजित होने वाले 550 संविदा अमीनों को प्रशिक्षण देने के संबंध में प्रशिक्षण संबंधी रूप–रेखा देने का प्रस्ताव निम्नवत हैं :–

(i) सभी संविदा अमीनों को 1 माह का प्रशिक्षण (2 सप्ताह सैद्धान्तिक–2 सप्ताह व्यावहारिक) देय होगा।

(ii) प्रशिक्षण देने के लिए सभी नवनियोजित होने वाले 550 संविदा अमीनों को चार बराबर ग्रुप में विभक्त किया जाएगा।

(iii) प्रथम दो ग्रुप 01 एवं 02 का राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर में मार्च माह के प्रथम पक्ष में सैद्धान्तिक प्रशिक्षण तथा द्वितीय पक्ष में व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा ग्रुप में 03 एवं 04 को मार्च माह के प्रथम पक्ष में व्यावहारिक तथा द्वितीय पक्ष में सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(iv) सैद्धान्तिक प्रशिक्षण का स्थान राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर के दो कक्ष होगें जबकि तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण का स्थान बिहार सर्वे कार्यालय, गुलजारबाग, पटना तथा पंचायत सरकार भवन सम्पतचक होगा।

(v) प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व सभी प्रशिक्षणार्थियों का राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में निबंधन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ–साथ प्रशिक्षण किट दिया जाएगा एवं प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यक निदेश दिए जाएगें।

(vi) संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम गैरआवसीय एवं प्रशिक्षण अवधि में अल्पाहार/भोजन की सुविधा से युक्त होगा।

(vii) संविदा अमीनों के प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर ली गई है।

उपरोक्त प्रस्तावों पर विर्मशोपरांत निर्णय लिया गया कि वर्त्तमान में चल रहे सभी प्रशिक्षण सत्रों में सभी प्रशिक्षणार्थियों की जॉच परीक्षा अनिवार्य रूप से ली जाए और जॉच परीक्षा में अनुतीर्ण रहने वाले कर्मियों के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाए। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम तैया किया जाए। संविदा अमीनों के नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रशिक्षण पूर्व एक दिवसीय इन्डक्शन प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण में लगभग 600 व्यक्तियों की उपस्थिति के आलोक में श्री कृष्ण मेमोरियल भवन गांधी मैदान अथवा अन्य किसी स्थान को चिन्हित किया जाए। प्रशिक्षण उपरांत संविदा अमीनों के पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रशिक्षण समाप्ति के तुरन्त बाद उन्हें विरमित कर दिया जाए।

अनुपालनः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।

6. **<u>विशेष सर्वेक्षण संबंधी जन–जागरूकता</u>** – विर्मशोपरान्त निर्णय लिया गया कि विगत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में जन–जागरूकता के लिए दिए जाने वाले विज्ञापन निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही राजस्व एवं सर्वेक्षण संबंधी तैयार की गई डाक्यूमेंट्री को अंतिम रूप देकर जिलों में प्रदर्शित किया जाए।

अनुपालनः– श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी–सह–मिडिया प्रभारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।

7. **<u>भू–नक्शा सॉफ्टवेयर एवं Textual and spatial Data Integration</u>** – निदेश दिया गया कि दिनांक–05.02.2021 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की बैठक करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए।

अनुपालनः–संयुक्त निदेशक, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना।

8. **<u>मानचित्रों की बिक्री</u>** – बैठक में उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा मानचित्रों की बिक्री से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत निदेश दिया गया कि मानचित्रों की बिक्री के लिए प्लॉटरों के नियमित रख–रखाव करने के संबंध में उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से अधियाचना प्राप्त कर राशि प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अनुपालनः–उप निदेशक, गुलजारबाग एवं सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।

9. <u>ETS का क्रय</u> :– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि इस संबंध में दिनांक– 16.02.2021 को निविदा खोलने की कार्रवाई की जाएगी।

निदेशित किया गया कि इस संबंध में यथाशीघ्र सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली जाए।

अनुपालनः–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।

10. **<u>सरकारी भूमि की सूची</u>** :– प्रतिवेदित किया गया कि विभिन्न जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा समर्पित किए गए सरकारी भूमि के विवरणी की समीक्षा निदेशालय स्तर पर की जा रही है। इस संबंध में बन्दोबस्त पदाधिकारियों को दिनांक– 08.02.2021 को हुई राज्य स्तरीय बैठक में आवश्यक निदेश दिए गए है। विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सभी विभागाध्यक्षों से पुनः जिला स्तरीय निदेश देने का अनुरोध भी किया गया है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि जिलों से विभागवार प्रतिवेदन के आधार पर, वर्त्तमान ... से मुख्य सचिव को अवगत कराया जाए।

अनुपालनः–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।

11. **मानचित्रों के Door Step Delivery** :– मानचित्रों की Door Step Delivery के बारे में प्रतिवेदित किया गया कि इस निमित्त बनाए गए सॉफ्टवेयर का आरंभिक ट्रायल कर लिया गया है और बेल्ट्रॉन में होस्ट करने एवं बैंक के साथ वास्तविक भुगतान की प्रक्रिया तथा उपभोक्ता के स्तर से मानचित्र प्राप्ति का ट्रायल करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। सम्पूर्ण प्रक्रिया पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संचिका उपस्थापित कर दी गयी है।

12. **DILRMP के तहत भारत सरकार को समर्पित किए जानेवाले प्रस्ताव** :– निदेश दिया गया कि DILRMP के तहत भारत सरकार को समर्पित किए गए प्रस्तावों और उनके सम्बन्ध में हुई कार्रवाई तथा अद्यतन स्थिति के बारे में Excel Chart में प्रतिवेदन तैयार कर लिया जाए और भारत सरकार को आय–व्यय प्रतिवेदन ससमय बनाकर प्रेषित किया जाए।

अनुपालनः–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।

13. **RSTI, गया के सम्बन्ध में** :– राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, गया के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया गया कि निर्माण कार्य पूरा करने के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को जो राशि उपलब्ध कराई गई थी, उसमें शेष बची राशि को व्यय करने के सम्बन्ध में भवन निर्माण विभाग द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना को सिलिंग हटाने का अनुरोध किया जाना है। अद्यतन स्थिति के अनुसार भवन निर्माण विभाग से संचिका वित्त विभाग भेजी गयी है जो वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है।

निदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में भवन निर्माण विभाग और वित्त विभाग में समन्वय स्थापित कर RSTI, गया का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए।

अनुपालनः–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84/2019 448 **पटना, दिनांक** :– 15/12/2021

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी, तकनीकी कोषांग/सभी नोडल पदाधिकारी/श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय/श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार/श्री विजय सम्राज्य, सहायक, बी0पी0एम0यू0, भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84 / 2019......448.......... पटना, दिनांक :–15/2/2021

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना), भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84 / 2019......448.......... पटना, दिनांक :–15/2/2021

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84 / 2019......448.......... पटना, दिनांक :–15/2/2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
18/2/21